

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2016-17

दिनांक:- 14-5-18


:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री राम कुमार, व्याख्याता कृषि विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घणऊ (चूरु) जिनकी जन्मतिथि 15.08.1962 है। इन्होंने दिनांक: 23.11.2017 को नोटिस प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31.05.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री राम कुमार, 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक: 31.05.2018 से श्री राम कुमार, व्याख्याता कृषि विज्ञान को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्र नामित श्री राम कुमार के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2016-17

दिनांक:- 14-5-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, बीकानेर।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, चूरु।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, घणऊ(चूरु)।
6. संबंधित कार्मिक श्री राम कुमार।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2016-17

दिनांक:- 14-5-18

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रीति शर्मा, व्याख्याता गणित राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर जिनकी जन्मतिथि 04.08.1961 है। इन्होंने दिनांक: 28.02.2018 को नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक: 01.06.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती प्रीति शर्मा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक: 01.06.2018 से श्रीमती प्रीति शर्मा, व्याख्याता गणित को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती प्रीति शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2016-17

दिनांक:- 14-5-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, बीकानेर।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर।
5. प्रधानाचार्या, रा महारानी बाउमावि, बीकानेर
6. संबंधित कार्मिक श्रीमती प्रीति शर्मा।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 14-5-18

:: कार्यालय आदेश ::

श्री रविन्द्र सिंह यादव, कनिष्ठ कृषि अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दौसा जिनकी जन्मतिथि 12.12.1958 है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर दिनांक: 31.12.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रविन्द्र सिंह यादव के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2015-16

दिनांक:- 14-5-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, जयपुर ।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा ।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, दौसा ।
6. संबंधित कार्मिक श्री रविन्द्र सिंह यादव ।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर